

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2026 — फाल्गुन 21, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(16).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :-

सारणी

अनुज्ञप्ति का प्रकार	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(1)	(2)
सी.एस.1-ख देशी मदिरा के विनिर्माण, बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण-भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति	रुपये 16,00,000 /—

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th March 2026

NOTIFICATION

File No. RULE/125/2026-EXCISE(16).— In exercise of the powers conferred in clause (e), (f), and (g) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) and Rule 3-B of Chhattisgarh Country Spirit Rules 1995, the State Government, hereby, prescribes the annual license fees as in column (2) for the license shown in column (1), of the following table:-

TABLE

Kind of License	Annual License fees
(1)	(2)
C.S.1-B License for the manufacturing, bottling and supply of country liquor in sealed bottles from country liquor manufacturing warehouse to the storage warehouses	Rupees 16,00,000/-

2. This ammendment shall be applicable from 1st April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2026

अधिसूचना

File No. RULE/125/2026-EXCISE(17).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-खख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है:—

सारणी

अनुज्ञप्ति का प्रकार	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(1)	(2)
सी.एस.1-खख देशी मदिरा के विनिर्माण, विशेष बोतल भराई तथा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण-भाण्डागारों तक प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति	रुपये 11,00,000 /—

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th March 2026

NOTIFICATION

File No. RULE/125/2026-EXCISE(17).— In exercise of the powers conferred in clause (e), (f), and (g) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) and Rule 3-BB of Chhattisgarh Country Spirit Rules 1995, the State Government, hereby, prescribes the annual license fees as in column (2) for the license shown in column (1), of the following table :-

TABLE

Kind of License	Annual License fees
(1)	(2)
C.S.1-BB Franchisee License for the manufacturing, bottling and supply of country liquor in sealed bottles from country liquor manufacturing warehouse to the storage warehouses	Rupees 11,00,000/-

2. This ammendment shall be applicable from 1st April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.